

R 472 - I - 19

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. .... / ..... / .....

विषय :- आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बाबत।

पक्षकार

- संजय सिंह परस्ते पिता श्री प्रयोत्तम परस्ते जाति गौड  
(आदिवासी) निवासी-सालीवाडा तह. व जिला जबलपुर

2-2-17  
50

अनावेदक

विरुद्ध


- 1. संजय सिंजोय मार्टिन पिता श्री ओसमिण्ट संतोष कुमार मार्टिन  
निवासी-मंडला रोड, बिलहरी, जबलपुर
- 2. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर

पुनिरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत

०२०२१

1. माननीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्र. 04/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दि. 27/01/2017 (Annexure-1) से व्यथित होकर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत यह पुनिरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

यह कि संजय सिंह परस्ते पिता श्री प्रयोत्तम परस्ते जाति गौड (आदिवासी) निवासी-सालीवाडा तह. व जिला जबलपुर द्वारा ग्राम पुरवा प.ह.नं. 57/93, रा.नि.म. खमरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 105 रकवा 0.16 हेक्टेयर भूमि को विक्रय करने की अनुमति संजय सिंजोय मार्टिन पिता श्री ओसमिण्ट संतोष कुमार मार्टिन निवासी-मंडला रोड, बिलहरी, जबलपुर हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 05.10.2016 (Annexure-2) म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) के तहत कलेक्टर जबलपुर के समझ प्रस्तुत किया गया था।



31 JAN 2017

P.K.

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ब्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 472-एक/17

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कर्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
१-२-१७	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक ०४/अ-२१/२०१६-१७ में पारित आदेश दिनांक २७-१-१७ के विलङ्घ मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा ५० के तहत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>२- आवेदक एवं अनावेदक कं. २ शासन के विद्वान अधिवक्ता के तर्के पर विचार किया। यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ ब्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है। जिसमें आवेदक द्वारा अपने द्वारा अधीनस्थ एवं मालिकाना हक्क की ग्राम पुरवा प.ह. नं. ५७/९३ रा.नि.म. खन्हरिया तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. १०५ एकड़ा ०.१६० हेक्टर भूमि गैर आदिम जनजाति के सदस्य अनावेदक क्रमांक-१ विक्रय करने की अनुमति दिए जाने का अनुसोध किया गया है। उक्त आवेदन पर से कलेक्टर द्वारा प्रकरण दिनांक ५-१०-१६ को पंजीबद्ध कर दिनांक २७-२-१७ के लिए ग्राह्यता पर तर्क हेतु नियत किया गया। इसके उपरांत आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष दिनांक २७-१-१७ को श्रीम सुबर्वाई का आवेदन प्रस्तुत किया गया जो कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया जाकर प्रकरण पूर्ववत दिनांक २१-२-१७ के लिए नियत किया गया है। कलेक्टर के इस आदेश से व्यवित होकर यह निगरानी पेश की गई है। कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया अधीनस्थ ब्यायालय द्वारा आवेदक के आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है और लंबी पेशी नियत कर दी गई है। आवेदित भूमि शासकीय पट्टे की</p>	

१/१५

(M)

क्रा. ५७२. I / १७

स्थान तथा  
दिनांक

कार्यवाही तथा(आदेश)

पश्चकार्दे एवं  
अभिभाषकों आदि के  
हस्ताक्षर

भूमि नहीं है बल्कि आवेदक की स्वर्गित भूमि है। आवेदक की समाज के व्यक्ति भूमि को काय करने को तैयार नहीं है। आवेदक को कर्ज अदा करने आदि के कारण सूपर्यों की आवश्यकता है। आवेदक की भूमि विकाय करने के संबंध में बात गैर आदिम जनजाति के कुछ व्यक्तियों से चल रही है परंतु वे भूमि मिलने के उपरांत ही भूमि काय करने की बात कह रहे हैं। जिलाध्यक्ष द्वारा प्रकरण में गाहृता पट तर्क के लिए लंबी पेशी नियत करदी गई है जबकि आवेदक द्वारा जो आधार दिए गए हैं वे भूमि विकाय की अनुमति देने हेतु पर्याप्त हैं। अंत में उनके द्वारा भूमि विकाय की अनुमति दिए जाने का निवेदन किया गया है। आवेदक की ओर से जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उनसे स्पष्ट है कि आवेदित भूमि आवेदक के स्वत्व एवं आधिपत्य की है जो उसके द्वारा काय की गई है उक्त भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है। विकाय हेतु आवेदित भूमि के अतिरिक्त आवेदक के पास 4.109 हैक्टर भूमि शेष बच रही है, जो उसके जीवन यापन के लिए पर्याप्त है। आवेदक द्वारा यह कहा गया है कि उसे वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से अधिक मूल्य प्राप्त हो रहा है, उसके साथ कोई छलकपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विकाय से आवेदक के आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। चूंकि आवेदक आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा संहिता की धारा 165 (6) के तहत भूमि विकाय की अनुमति चाही गई है। आवेदक द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए इस प्रकरण में उनको भूमि विकाय की अनुमति दिए जाने में कोई वैधानिक अड़चन नहीं है। दर्शित परिस्थिति में कलेक्टर के समक्ष आलोच्य प्रकरण में प्रचलित कार्यवाही समाप्त करते हुए आवेदक को उसके स्वामित्व की ग्राम पुरवा प.ह.नं. 57/93 रा.नि.मं. खम्हरिया तहसील व जिला

(M)

P.M.

४ -

**XXXIX(a)BR(H)-11**

**राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ब्वालियर**

**प्रकरण क्रमांक - निग0 472-एक/17**

**जिला - जबलपुर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 105 एकड़ा 0.160 हैक्टर भूमि गैर आदिम जनजाति के सदस्य अनावेदक क्रमांक-1 को निम्न शर्तों के साथ विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-</p> <p>1- प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष की गाइड लाईन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।</p> <p>2- केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि ( पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अधिग्राम राशि को कम करके ) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।</p> <p>3- उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन की मान से किया जायेगा</p> <p>निगरानी तदनुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सुचित हों ।</p> <p><i>R/S</i></p> <p>(एम0को0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ब्वालियर</p>	